P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-IV, ISSUE-III, February-2016
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

भारतीय परिवेश में दलित महिलाओं की उच्च शैक्षिक स्थिति का अध्ययन

सुचित्रा दिवाकर
शोधार्थिनी,
राजनीति "ाास्त्र विभाग,
बी.बी.ए.यू.,
लखनऊ

सारांश

"इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर कदम रख रहा वि"व समाज इसे महिलाओं की शताब्दी बनाने की तैयारी में है। केन्द्र सरकार ि"ाक्षा के स्तर में सुधार करके महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ करने का प्रयत्न सरकार कर रही है। आज समाज में समानता की बात की जाती है लेकिन इस समानता का लाभ महिलाओं को प्राप्त नही हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला द"ाक, इंटरने"ानल इयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के बाद वर्ष 2001 महिला स"ाक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया जो कि "इस बात का द्योतक है कि आजादी के 66 वर्ष बाद भी संविधान द्वारा दिये गये समानता के अधिकार आज भी महिलाओं को नही दिये गये हैं। आज भी महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा नही दिया जा रहा है। केवल उच्च ि"ाक्षा में ही नहीं बल्कि उच्च ि"ाक्षा प्राप्त कर नौकरी करने वाली महिला भी आज उतनी ही शोषित हो रही है जितनी कि कम पढ़ी लिखी महिला हो रही है। इस शोध–पत्र के माध्यम से दलित महिलाओं की दर्दनाक स्थिति को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है जो वास्तव में आज भी मुख्य धारा से काफी दूर हैं। राज्य को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि विधिक तंत्र ऐसे कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और कोई भी नागरिक ि"ाक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। दलित महिलाओं की ओर वि"ोषकर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि आज इनका बहुत बड़ा भाग उच्च ि"ाक्षा से वचित है।

मुख्य शब्दः दलित महिलाओं, "ौक्षिक स्थिति, सामाजिक न्याय, महिला स"ाक्तिकरण, पाठ्यक्रमों स्वतन्त्रता, लैंगिंक विभेद, यौन उत्पीड़न, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, दयनीय स्थिति, आईआईएम, पे–चेक इण्डिया, कैरियर पैटर्न, प्रयोगशाला, समान अवसर मुहया कराने, अल्पसंख्यक वर्ग, निःशक्त व्यक्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृति, पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति।

पस्तावना

"इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर कदम रख रहा वि"व समाज इसे महिलाओं की शताब्दी बनाने की तैयारी में है। भारत इस सदी के प्रथम वर्ष को महिला स"ाक्तिकरण के रुप में मना रहा है। स्पष्ट है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों के बावजूद स्त्री के सन्दर्भ में अभी काफी कुछ किया जाना शेष है।"[1] वर्तमान समय में भारतीय समाज में नारियों की द"ाा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। अनेक भारतीय समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ई"वरचन्द्र विद्यासागर, ऐनी बेसेन्ट, महात्मा गाँधी ने नारी उत्थान के लिए काफी प्रयत्न किये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1950 में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। वे आज प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।

केन्द्र सरकार ि"ाक्षा के स्तर में सुधार करके महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने का प्रयत्न सरकार कर रही है। दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए यह नियम बनाया गया है कि स्कूल में सभी बच्चों को यह प्रण लेना होगा कि वे महिलाओं का आदर व सम्मान करेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जल्द ही यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में प्रारम्भ होने जा रही है। बच्चे को अब सुनना और रटना होगा...

"मैं प्रण करता हूँ कि मैं हमेशा महिलाओं का आदर और सम्मान करूँगा महिलाओं के साथ आक्रामक बर्ताव से खुद को हमेशा दूर रखूंगा मैं समाज और

स्कूल में महिलाओं के सम्मान और मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं प्रण करता हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध कँरूगा जब कभी भी महिलाओं को परेशानी में देखूंगा तो हमेशा उसकी तत्काल हरसम्भव मदद करूंगा।[2]

दिल्ली सरकार के निर्दे"ालय ने इस संकल्प को स्कूल डायरी में शामिल करने का निर्णय लिया है। f"ाक्षा निर्दे"ालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है कि हलफनामे के मुताबिक, स्कूली बच्चों को रोजाना यह संकल्प लेना होगा। यह काम इस लिए किया जा रहा है जिससे कि बच्चों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास हो सके। और उन्हें लैंगिंक विभेद से बचाया जा सके। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों सभी केन्द्र शासित प्रदे"ाों को हलफनामा दाखिल कर यह बताने के लिए कहा था कि वे स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

स्नातकोत्तर इन्दिरा गाँधी छात्रवृत्ति योजना इसका उद्दे"य छात्रवृत्तियों के माध्यम से ऐसी बालिकाओं को f"ाक्षित करना तथा f"ाक्षा को बढावा देना है जो अपने परिवार की एक मात्र संतान हैं तथा इस प्रकार अभिभावकों का छोटे परिवार के मानदण्डों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करना है। ऐसी बालिकाएँ जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निष्णांत डिग्री कार्यक्रम में प्रवे"ा पा लिया है वे इसके लिए पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

महिलाओं के दर्जे में वृद्धि करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आयोग महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु वि"ोा योजना के तहत छात्रावास एवं अन्य अवसंरनात्मक सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। 60.00 लाख रुपये से 100.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सहायता शत–प्रति"ात आधार पर प्रदान की जाती है जोकि गैर–महानगरीय शहरों में महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाली महिला छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

हमने कई राज्यों में जाकर महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया और यह पाया कि आज भी महिलाओं की वि"ोषकर दलित महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उत्तर प्रदे"ा, हरयाणा, राजस्थान, बिहार आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ महिलाओं को आगे बढने के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे है। मेरे अध्ययन का उद्दे"य ऐसी महीलाओं को ही सामने लाना है। जिससे कि सभी को इनकी स्थिति से परिचित कराया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला द"ाक, इंटरने"ानल इयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के बाद वर्ष 2001 महिला स"ाक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया जो कि "इस बात का द्योतक है कि आजादी के 66 वर्ष बाद भी संविधान द्वारा दिये गये समानता के अधिकार आज भी महिलाओं को नही दिये गये हैं।"[3] आधुनिक महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय महिलाओं ने सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भी आज दलित महिलाएँ पूरी तरह से स्वतन्त्र नही हो सकी हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दलित महिलाओं की स्थिति दयनीय है। आज भी महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा नही दिया जा रहा है। उच्च f"ाक्षा प्राप्त कर नौकरी करने वाली महिला भी आज उतनी ही शोषित हो रही है जितनी कि कम पढ़ी लिखी महिला हो रही है। जब तक उनको पुरुषों के समान वेतन नही दिया जायेगा तब तक ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नही कर सकते हैं। आज f"ाक्षा व उच्च f"ाक्षा प्राप्त पुरुष, महिला के वेतन में कितना अन्तर है। आई.आई.एम., अहमदाबाद से जुड़े पे–चेक इण्डिया के अध्ययन के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं

वार्षिक औसत वेतन

शिक्षा	पुरुष	महिला	अंतर
इंटरमीडियट	1,16,640	99,900	14 प्रति"ात
ग्रेजुए"ान	2,40,000	1,99,854	16 प्रति"ात
डॉक्टरी, कानून	5,40,000	3,90,000	28 प्रति"ात
मास्टर डिग्री	4,56,000	2,70,120	41 प्रति"ात
सीए,सीएस	7,20,000	4,01,400	44 प्रति"ात
पीएचडी या समकक्ष	5,82,000	4,14,000	29 प्रति"ात

आई.आई.एम., अहमदाबाद से जुड़े पे–चेक इण्डिया[4]

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इंटरमीडियट पास स्त्री, पुरूष के वेतन में 14 प्रति"ात का अन्तर, ग्रेजुए"ान पास स्त्री, पुरूष के वेतन में 16 प्रति"ात का अन्तर, डॉक्टरी व कानून पास स्त्री, पुरूष के वेतन में 28 प्रति"ात का अन्तर , मास्टर डिग्री पास स्त्री, पुरूष के वेतन में 41 प्रति"ात का अन्तर, सीए,सीएस पास स्त्री, पुरूष के वेतन में 44 प्रति"ात का अन्तर, पीएचडी पास स्त्री, पुरूष के वेतन में 29 प्रति"ात का अन्तर है। इस प्रकार दिये गये आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उच्च f"ाक्षा प्राप्त करने के बाद भी महिलाओं की स्थिति समाज में पुरूषों से बदत्तर है। "वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दे"ाों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया व उन्हें रैंकिंग दी है। डब्ल्यूइएफ की 2014 की 'ग्लोबल जैंडर गैप रिपोर्ट' के मुताबिक कुछ दे"ाों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से बहुत ज्यादा बदत्तर है।"[5]

देशों में महिलाओं का स्तर

देश	रैंकिंग
मोरक्को	133
जॉर्डन	134
लेबनान	135
आइबरी कोस्ट	136
ईरान	137
मली	138
सीरिया	139
चाड	140
पाकिस्तान	141
भारत	114

डब्ल्यू.ई.एफ. की 2014 की 'ग्लोबल जैंडर गैप रिपोर्ट'

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-IV, ISSUE-III, February-2016
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

रिपोर्ट में दी हुई इस रैंकिंग के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि भारत में महिलओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस स्थिति में सुधार करने व महिला स"ाक्तिकरण के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने तथा शिक्षा को सुगम बनाने और समाज के कमजोर वर्गों विशे"ाकर अनुसूचित जातियों व जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने के लिए महाविद्यालयों का विकास करना एक प्रमुख दायित्व है, जो कि व्यापक रूप से स्नातकपूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है। महाविद्यालयों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने व सभी का आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर क पाठ्यक्रमों को तर्क संगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालयों में कम ही विद्यार्थी नामांकित होते हैं तथा समूह में सुविधाओं का अभाव रहता है इसलिये आयोग द्वारा विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ऐसे क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना करना भी ग्यारहवीं योजना के दौरान, आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जहाँ इनकी पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। आधारभूत विकास की सहायता के अतिरिक्त, 10 वीं पंचवर्षीय योजना की कई योजनाएँ ग्यारहवीं योजना की सामान्य विकास

अनुदान योजनाओं के साथ सम्मिलित कर दी गई हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए विकास अनुदान के संबंध में निर्णय करते समय, सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त, इन सम्मिलित योजनाओं के लिए भी आंबटन किया गया।

ये योजनाएँ निम्नवत थी :–

1. पुराने महाविद्यालयों की अवसंरचना का जीर्णोद्धार।
2. नए महाविद्यालयों के लिए 'कैचअप' अनुदान।
3. ग्रामीण, दूरस्थ, सीमावर्ती, पर्वतीय, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय।
4. ऐसे महाविद्यालय, जहाँ पर अनुसूचित जाति व जनजाति और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है।
5. महाविद्यालयों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान।
6. पिछड़े क्षेत्रों में महाविद्यालय।
7. महाविद्यालयों में समान अवसर केन्द्र।
8. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति या अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण।
9. अ.जा. व अ.ज.जा. या अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों को नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के लिए अनु"ाक्षण)।
10. अ.जा. व अ.ज.जा. या अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में शामिल होने के लिए अनुशिक्षण।
11. निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएँ तथा कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ।

"महिला छात्रवासों का निर्माण, महिलाओं का नामांकन बढ़ाने, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चालू है, जो महाविद्यालय वि.अ.आ. के क्षेत्र अधिकार के अतंर्गत आते हैं तथा जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं वह महाविद्यालय, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन स्कीम के अतंर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अधीन वि.अ.आ. से शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन उनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी।"[6]

महिला नामांकन	गैर–महानगरों के संबंध में धनराशि (लाख रुपये में)	महानगरों के संबंध में धनराशि (लाख रुपये में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251–500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

विश्वविद्यायल अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2013–2014

वि.अ.आ. आंबटन/अधिकतम राशि से किए गए अधिक व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करना होगा जिसका संबन्धित संस्था स्पष्ट रूप से उल्लेख कर आश्वासन प्रदान करेगी। ग्यारहवीं योजना के दिशा निर्दे"ाों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित/अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत उपलब्ध नहीं कराता है।

अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय तथा जनजातीय मामलों के मन्त्रालय ने अ.जा. एवं अ.ज.जा. छात्राओं के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौपा और वित्तपोषित किया गया है जिसके लिए प्रति वर्ष 2667 स्लॉट उपलब्ध कराये गये हैं अर्थात अ.जा.के लिए 2000 तथा अ.ज.जा. के लिए 667 स्लॉट उपलब्ध कराऐ गऐ हैं। अ.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 01 अप्रैल, 2010 से स्लॉटों की संख्या 1333 से बढाकर 2000 कर

दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्दे"य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना। केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के प्रत्याशियों के लिए विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान जिसमें भाषाएं एवं इन्जीनियरिंग एवं प्रौधोगिकी शामिल की गई हैं उन विषयों में एम.फिल. या पी.एच–डी. करने के उद्दे"य से उच्च शोध एवं अध्ययन करने के लिए 2667 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां उपलब्ध कराना है।

अनुस्चित जाति व जनजाति की छात्राओं के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

योजना का उद्दे"य ऐसे अ.जा. व अ.ज.जा. छात्राओं जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है तथा जिन्होंने शोध पत्र प्रकाशित कर लिया है उनके लिये उनके द्वारा चुने हुऐ क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की योजना को आरम्भ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े छात्राओं के लिए यह योजना अ.जा. व अ.ज.जा. प्रत्याशियों को पे"ोवर पाठ्यक्रमों मे स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष की है। अ.जा. व अ.ज. जा. वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है। एम.टेक.छात्र 5,000.रू. प्रतिमाह की दर से

आकस्मिक व्यय 15,000.रू. प्रतिवर्ष की दर से अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 3,000रू. प्रतिमाह की दर से आकस्मिक व्यय 10,000रू. प्रतिवर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, 57206602 रूपये का योजनागत व्यय किया गया।

एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

लिंगगत न्याय प्रदान करने के उद्दे"य से सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें लडकियों के लिए निः"ाुल्क शिक्षा तथा मूलभूत ि"ाक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्दे"य सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए किया गया व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हुआ है। उसकी प्रतिपूर्ति की जाये विशेषकर के ऐसी लड़कियों के मामले में जो कि अपने–अपने परिवारों में एकमात्र बालिका शिशु हैं।

इस योजना के उद्दे"य गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका सतांन के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड महत्व को पहचान प्रदान करना। यह योजना स्नातकोत्तर शैक्षिक सत्र 2005–07 से आरंभ की गयी थी। अपने माता–पिता की एकल बालिका संतान जिससे नियमित पूर्णकालिक, निष्णांत पाठ्यक्रम (गैर–पे"ोवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त वि"ववविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवे"ा लिया है, यह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवे"ा के समय 30 वर्ष तक की आयु की कि"ोरी छात्राएँ पात्र हैं। सभी पात्र कि"ोरी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है।

सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से समान्य महिलाओं के साथ साथ दलित महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में अभिवृद्धि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर अब तक उच्चतर शिक्षा में प्रवे"ा प्राप्त महिलाओं के संख्या में विशाल अभिवृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं द्वारा प्रवे"ा की दर जो समस्त प्रविष्ट छात्रों के 10 प्रतिशत से भी कम थी, वही शैक्षणिक वर्ष 2012–2013 के दौरान 43.28 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। इस अभिवृद्धि की गति विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में तीव्र रही है। जैसा कि तालिका में दिये गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है प्रति 100 पुरुषों के मुकाबले में पंजीकृत महिलाओं की संख्या वर्ष 1950–51 की तुलना में वर्ष 2011–12 में लगभग 5 गुना बढी है।[7]

प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की संख्या

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति सौ पुरूषों पर महिला नामांकन
1950–51	40	14
2012–2013	9306	76.31

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट, 2012–2013

वर्ष 2012–2013 के दौरान 17531 पी.0एच.0डी0 शोध उपाधियाँ प्रदान की गई इनमें से सबसे अधिक कला संकाय की 5642 पी.एच.डी. उपाधियों तत्प"चात विज्ञान संकाय में 5607 पी.एच.डी. उपाधियाँ प्रदान की गई। इन दोनों संकायों में प्रदत्त उपाधियों कुल उपाधियों का 63.84 प्रतिशत रहा।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरूष छात्रों के पीछे महिला नामांकन 76.31 प्रतिशत रहा। प्रतिशतता के सदंर्भ में महिला नामांकन गोवा राज्य में सर्वाधिक रहा (60.31 प्रतिशत) उसके पश्चात् दमन और दीव (59.11 प्रतिशत), केरल (58.24 प्रतिशत) फिर मेघालय (53.82 पतिशत) और हिमाचल प्रदे"ा में (50.67 प्रतिशत) तथा अरूणाचल प्रदे"ा में सर्वाधिक कम (36.69 प्रतिशत) महिला नामांकन रहा। परि"ाुद्ध संख्या में उ0प्र0 14.28 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (10.76 लाख) तथा तमिलनाडु (8.61 लाख) आदि रहा।[8]

महिला नामांकन कला संकाय में सर्वाधिक (42.66 प्रतिशत) था, उसके पश्चात् विज्ञान (19.07 प्रतिशत) में, फिर वाणिज्य (16.16 प्रतिशत) जो तीनों संकायों में कुल

77.89 प्रतिशत रहा। जबकि शेष 22.11 प्रतिशत सभी पे"ावर संकायों म था। प्रति"ात के संदर्भ में पे"ावर संकायों में सबसे ज्यादा महिला नामांकन इजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी (10.55 प्रतिशत) के पे"ावर संकाय में रहा। वर्ष 2012–2013 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 120 नये महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार महिला महाविद्यालयों की कुल संख्या 4386 हो गई।

जॉन कुरैन 1981 ने स्पष्ट किया है कि भारत में "िक्षा सम्बन्धी आँकड़े वास्तविकता के विभिन्न चित्र प्रस्तुत करते हैं। आपने पंजीकरण वि"वविद्यालयों में उपस्थिति तथा सत्र के बीच पढ़ाई में बंद करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या ज्ञात करने पर बल दिया और इन आकड़ें को स्फीतिक आँकड़ों की संज्ञा दी। आपने तुलनात्मक अध्ययन कर बताया कि विभिन्न राज्यों में उच्च "िक्षा में दलित महिलाओं का स्तर कैसा है।

सभी राज्य बालकों के "िक्षा के अधिकार का आदर करेगें। और इस दि"ाा में प्रगति हेतु सभी को उच्च "िक्षा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था करेगा। राज्य सभी के लिए निः"ाुल्क एवं अनिवार्य "िक्षा की व्यवस्था करेगा एवं राज्य अपनी क्षमताओं और साधनों के अनुरूप उच्च "िक्षा प्रदान करवायेंगे। राज्य वि"वविद्यालयों में विद्यार्थियों को उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन देगें। अपूर्ण "िक्षा की दर में कमी लायेगें। उन्हें उच्च "िक्षा प्रदान करने के लिए समय समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगें।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्याय के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता हैं कि आज दे"ा में केन्द्र सरकार महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्न प्रयास कर नियमों का निर्माण कर रही है। लेकिन इस कार्य में पूरी तरह सफलता प्राप्त नही हो पा रही है। दलित महिलाओं के लिए चलाई जा रही उच्च "िक्षा की योंजनएँ भी उनकी स्थिति में पूर्णतः सुधार नही कर पायी हैं। आज भी उच्च "िक्षा में उनकी स्थिति पुरूषों की तुलना में दयनीय है आव"यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाये जायें जिससे की दलित महिलाओं को उच्च "िक्षा में प्रवे"ा दिलाकर उनकी "िक्षा का पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की जा सके। राज्य सरकार को भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। साथ ही साथ दे"ा में महिलाओं की सुरक्षा करने वाली पुलिस भी इस कार्य में पूर्णतः सहयोग करेगी। जिससे कि लड़कियों को महाविद्यालय व वि"वविद्यालय जाने में किसी पकार का भय न हो। यदि पुलिस अपना कर्त्तव्य नही निभाती है तो इस मामले को ट्रायल फास्टट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिऐ। जिससे की आम जनता को सरकार का असली रूप दिखाया जा सके। भारत में जब इस तरह के सख्त कानून बनने लगेंगे और सरकार चला रही महिला जब सामान्य महिला के विषय में सोचना प्रारम्भ कर देगी तभी दलित महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा।

सुझाव

वर्तमान समय महिलाओं का समय है अतः प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह बालिकाओं के "िक्षा के अधिकार का आदर करेंगे और इस दि"ाा में प्रगति हेतु सभी को उच्च "िक्षा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था करेगा। राज्य सभी के लिए निः"ाुल्क एवं अनिवार्य "िक्षा को व्यवस्था करेगा एवं राज्य अपनी क्षमताओं और साधनों के अनुरूप उच्च "िक्षा प्रदान करवायेंगे। राज्य वि"वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन देगा। अपूर्ण "िक्षा की दर में कमी लायेगें। उन्हें उच्च "िक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पी.डी.पाठक, जे.एस.त्यागी, 2008, ''"िक्षा के सामान्य सिद्धान्त'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृष्ठ संख्या– 243, वोल्यूम–1
2. वीरेन्द्र सिंह यादव, 2013, "भारत में महिला स"ाक्तिकरण के उभरते अभिनव परिदृ"य", अल्फा पब्लिके"ान, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–180, वोल्यूम– 1
3. आलोक कुमार, 2011," भारत में विवाह पद्धतियाँ एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति", इ"ाका पब्लि"ांग हाउस, जयपुर, पृष्ठ संख्या– 9, वोल्यम–1
4. ओम प्रका"ा शर्मा, 2002, "समकालीन महिला लेखन", अप्पल पब्लि"ांग हाउस, दिल्ली , पृष्ठ संख्या–12, वोल्यूम–1
5. अभय कुमार दुबे, 2008, "आधुनिकता के आइने में दलित "वाणी प्रका"ान, नई दिल्ली, पेज 231–235, वोल्यूम– 2।

पाद् टिप्पणी

1. ओम प्रका"ा शर्मा 2002, "समकालीन महिला लेखन", अप्पल पब्लि"ांग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ संख्या–12, वोल्यूम–1
2. अमर उजाला, 13 फरवरी, "ाुक्रवार, आगरा, पेज नः–20।
3. आलोक कुमार 2011, "भारत में विवाह पद्धतियाँ एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति", इ"ाका पब्लि"ांग हाउस, जयपुर, पृष्ठ संख्या–9, वोल्यूम–1
4. अमर उजाला, 18 जून 2014 बुधवार, आगरा, पेज नं0– 14
5. राजस्थान पत्रिका, 1 फरवरी 2015, शनिवार, राजस्थान , पेज नं0–13
6. वि"वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट, 2012–2013, पृष्ट संख्या –112
7. वि"व अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट, 2012–2013, पृष्ठ संख्या– 58
8. ibid